Shri C. D. Deshmukh: I beg to move:

"That the Bill be passed."

Mr. Speaker: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

SIXTH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

Shri Altekar (North Satara): I beg to move:

> "That this House agrees with the Sixth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 14th April, 1954."

As a contingent mover, I move for a certain contingency that may arise. As a matter of fact, Shri S. N. Das, who moved his resolution on the 2nd April, 1954, has taken about 17 minutes already, and the whole of the day today could be spent on that resolution. But, if the hon. Minister accepts the resolution in between, other resolutions will have to be taken up for consideration. Therefore, the time allotted for the next resolution is 2½ hours—Shri Gopalan's resolution relating to the appointment of a parliamentary commission to enquire into the question of curtailment of civil liberties; then, 2 hours for the resolution regarding the steps to be taken to separate the finances of the Posts and Telegraphs Department from the general finance—this is Shri Samanta's resolution; then 2½ hours for Shri H. L. Agarawal's resolution regarding steps to be taken by Government to make the First Five Year Plan a complete success.

I recommend that the House do accept this.

Mr. Speaker: The question is:

"That this House agrees with the Sixth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 14th April, 1954."

The motion was adopted.

RESOLUTION RE. WORKING OF ADMINISTRATIVE MACHINERY AND METHODS AT CENTRE—*Contd.*

श्री एस० एम० बनर्जी (दरभंगा मध्य): अध्यक्ष महोदय, पिछले दिन जब मैंने इस प्रस्ताव को इस सदन में पेश किया था उस समय मैं ने जिक्र किया था कि इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने देश के प्रशासन तंत्र और उसकी पद्धति के बारे में जांच करने के लिये एक ऐसे आयोग की स्थापना करें कि जो इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करने के बाद प्रशासन के सम्बन्ध में और प्रशासन पद्धति के सम्बन्ध में सरकार के सामने अपने सुझाव और सिफारिशों को रक्खे। मैं ने यह कहा था कि आज जो हमारे देश में प्रशासन तंत्र है उसकी कल्पना उस समय में हुई थी जिस समय हम गुलाम थे, और उस संगठन को भी उन्हीं लोगों ने लागू किया था जिन को इस देश में अपने शासन को बहुत दिनों के लिये कायम रखना था।

जैसे हम ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने शासन को चलाने के लिये बहुत परिश्रम और मेहनत करके, बहुत समय लगा कर, विधान का निर्माण किया था, उसी प्रकार से आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने प्रशासन तंत्र के सम्बन्ध में बहुत ही व्यापक रूप से, पूरी जानकारी हासिल करें और जानकारी हासिल करने के बाद उस में जरूरी सुधार करें। इस में कोई शक नहीं है कि आज की अवस्था में हमारे राज्य के जो भी मुख्य अंग हैं, कानून बनाने वाला अंग, कानून को देश में लागू करने वाला अंग और न्याय विभाग, इन तीनों भागों में सब से महत्वपूर्ण भाग ऊपर से देखने में, कानून बनाने वाले भाग को कहा जाता है। लेकिन मेरा खयाल है कि प्रजातंत्र में यह कानून बनाने वाला विभाग, जैसा कि हम वर्तमान पद्धति को देखते हैं, सिवा बहस